महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

फोन नं. 0145–2787056
0145–2787058
फैक्स नं. 0145–2787244
कायड रोड पुष्कर बाईपास अजमेर

अनुमानित लागतः– 150000/–
अमानत राशि 2% :– 3000/–
प्रतिभूति सुरक्षा राशि 5% :– 7500/–
निविदा प्रपत्र का शुल्कः– 100/–
निविदा फार्म एवं धरोहर राशि वाछित दस्तावेज़ जमा कराने की अन्तिम तिथिः–07.07.2023 अपरान्ह् 1.00 बजे
निविदा खोलने की तिथिः–07.07.2023 अपरान्ह् 3.00 बजे

निविदा प्रपत्र

कार्य का नामः–विश्वविद्यालय के टी.आर. एवं रजिस्टर बाईन्डिग कार्य की प्रदायगी बाबत्।

1. ....(कार्य का नाम जिनके लिए निविदा प्रस्तुत की गई है) के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम एवं डाक का पता (मय दूरभाष/मो. न.) ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का पंजीकरण संख्या (प्रति संलग्न करें)..................................
4. किस दिनांक को सम्बोंधित किया गया हैः–..................................
5. संदर्भः– निविदा क्रमांक ....दिनांक ....
6. निविदा शुल्क की राशि ....नगद रसीद......................................एवं दिनांक.............................. द्वारा रेखांकित पोस्टल ओंर्डर/ड्राफ्ट संख्या ....के द्वारा जमा करा दी गई है।
7. हम...द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या..................................दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। (इनके सभी पृष्ठों पर उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिए है।)
8. संलग्न प्रपत्र में कार्य की दर समस्त सहित अंकित है।
9. आदेश प्राप्त करने होने की दिनांक से ....की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।
10. ऊपर उद्यत की गई दरें एक वर्ष के लिए विधि मान्य है। सेवा आपूर्ती को 50 प्रतिशत तक की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है।
11. बयाना राशि के पेटे बैंक ड्राफ्ट/बैंक चैक संख्या ....राशि......................................चालान संख्या..................................दिनांक...राशि रूपये.. संलग्न है।
12. निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्य का विवरण

1. बाईन्डिग के कार्य में दो पौण्ड का बोर्ड उपर व नीचे उत्तम अबरी पेपर, पीछे व फोल्डिंग की जगह उतम मिल के मजबूत कपड़े का प्रयोग करने का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अन्दर की तरफ 20 X 30 साईज में ओरियन्ट एवं समकक्ष पेपर लगाना होगा। जिल्दसाजी में मजबूत धागे व उतम सामग्री का प्रयोग करना होगा।
2. टी.आर बाईन्डिग का कार्य उपकुल सचिव / सहायक कुलसचिव परीक्षा शाखा यू.जी एवं पी.जी. नामाकंन अनुभाग तथा गोपनीय शाखा की देखरेख में उनके निर्देशानुसार कार्यालय समय में ही किया जायेगा।
3. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा।

विश्वविद्यालय के टी.आर. एवं रजिस्टर बाईन्डिग कार्य की प्रदायगी बाबत् निम्न शर्तेः–

1. निविदा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निविदा प्रपत्र पर ही भरकर देनी होगी अन्य किसी फार्म/कागज पर भेजी गई निविदा अस्वीकार्य होगी। अमानत राशि रूपये 3000/– का डिमांड ड्राफ्ट टेण्डर के साथ लगाना होगा। जिसकी दरें अनुमोदित होगी उसकी प्रतिभूति सुरक्षा राशि बतौर अमानत राशि के रूप में समायोजित कर ली जायेगी।
2. निविदा पत्र के साथ जीएसटी पंजीयन प्रमाण पत्र संलग्न है।
3. किसी प्रकार की प्रति–शर्त (काउन्टर कंडीशन) मान्य नही होगी।
4. धरोहर राशि के बिना निविदा प्रपत्र पर विचार नही किया जावेगा।
5. निविदा में दी गई दर में किसी प्रकार की काट–छांट नही होनी चाहिए। किसी कारण काट–छांट की गई तो उस पर पूरे हस्ताक्षर निविदादाता के होना आवश्यक है अन्यथा उसके अभाव मे निविदा पर कोई विचार नही किया जावेगा।
6. विवाद होने पर केवल अजमेर स्थित न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया जायेगा।
7. ठेकेदार द्वारा काम में लिये जाने वाले विश्वविद्यालय के सामान की सुरक्षा की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
8. ठेका एक वर्ष के लिए मान्य होगा जिसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा। शर्तों का उल्लंघन होने पर ठेका निरस्त कर दिया जावेगा।
9. दरें असामान्य रूप से कम या अधिक होने पर निविदा Outrightly reject कर दी जाएगी।

10. धरोहर राशिः–

i. निविदा के साथ अमानत राशि के 3000/– रूपये नकद राशि या डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमा करवानी होगी। जिसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। उपरोक्त डिमाण्ड ड्राफ्ट की राशि कुलसचिव, म.द.स. विश्वविद्यालय, अजमेर के पक्ष में जमा करायी जानी चाहिये।

ii. धरोहर राशि निविदा के अंतिम रूप से स्वीकार किये जाने एवं अनुबंध हो जाने के बाद यथाशीघ्र विफल निविदादाता को प्रत्यार्पित कर दी जायेगी। सफल निविदाकार को करार के समय सामग्री/सेवा मूल्य की **पांच प्रतिशत** राशि प्रतिभूति के रूप में जमा करानी होगी, जिसमें उनके द्वारा जमा धरोहर राशि का समायोजन कर लिया जावेगा शेष प्रतिभूति राशि भी नकड/डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करानी होगी।

14. निविदा की स्वीकृति, अनुबंध एवं प्रतिभूमि राशिः–

a) विश्वविद्यालय के पास किसी भी निविदा को बिना कारण बताए अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। जिन वस्तुओं के लिए निविदा की गयी है, उनकी पूर्ण मात्रा या उसके किसी भाग के लिए विश्वविद्यालय की आवश्कयतानुसार आदेश दिए जा सकते है, तथा विशेष परिस्थिति में सामग्री/सेवा की विश्वविद्यालय में पचास प्रतिशत तक वृद्धि एवं कमी की जा सकती है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

b) सफल निविदादाताओं को अपने खर्चे पर निविदा स्वीकार करने की सूचना जारी होने के **सात दिवस** करार निष्पादित कार्यवाही करना होगा।

c) निर्धारित प्रारूप में नियमानुसार निर्धारित राशि के रू. 500/– के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर करार निष्पादित करना होगा।

d) संविदा के यथावत क्रियान्विती के लिए प्रस्तावित कार्यादेश के मूल्य की 5 प्रतिशत राशि नगद/ड्राफ्ट द्वारा सात दिवस में जमा करानी होगी। यदि निविदादाता विहित कालावधि में प्रतिभूति राशि जमा कराकर करारनामा निष्पादित करने में विफल रहता है तो इस प्रकार विफल रहने को निबंधनों तथा शर्तों का भंग होना माना जाएगा एवं धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी। तदुपरान्त बिना नोटिस अन्य निविदादाताओं को क्रय/सेवा आदेश देने का अधिकार होगा।

15. इस निविदा एवं अनुबंध के संबंध में अन्य शर्तें एवं नियम, जिनका उल्लेख ऊपर नहीं किया गया हैं, राजस्थान लोक उपापम में पारदर्शिता में अधिनियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार होगा।

16. किसी भी निविदा को चाहे वह न्यूनतम न हो स्वीकृत करने, किसी भी निविदा को बिना कारण बतलाए अस्वीकृत करने, एवं निविदत्त मदों को एक फर्म/ प्रदायक से अधिक में वितरित करने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।

17. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा।

कुलसचिव

मैं/हम घोषित करता हूं/करते है कि मैने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तें पढ़ ली है जिससे मैं/हम स्वीकार करते है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

अन्य सील्ड लिफाफे में रखें

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय,अजमेर

विश्वविद्यालय के टी.आर.एवं रजिस्टर बाईन्डिग कार्य की प्रदायगी बाबत्

वित्तीय बिड

बोलीदाता / संवेदक का (फर्म) का पूरा नाम..

1. डाक का पता...
2. फोन / मोबाईल नंबर..
3. ई–मेल..
4. बैंक का खाता संख्या..
5. बैंक का नाम..

IFSC CODE..

क्र. सं.	साम्रगी का विवरण	दर प्रति टी.आर. समस्त कर भाड़ा मय सामग्री तथा मजदूरी एवं जी.एस.टी. अतिरिक्त
1.	टी.आर. बाईन्डिग (साईज 15 X 12) 4. बाईन्डिग के कार्य में दो पौण्ड का बोर्ड उपर व नीचे उत्तम अबरी पेपर, पीछे व फोल्डिंग की जगह उतम मिल के मजबूत कपड़े का प्रयोग करने का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। अन्दर की तरफ 20 x 30 साईज में ओरियन्ट एवं समकक्ष पेपर लगाना होगा। जिल्दसाजी में मजबूत धागे व उतम सामग्री का प्रयोग करना होगा। 5. टी.आर बाईन्डिग का कार्य उपकुल सचिव / सहायक कुलसचिव परीक्षा शाखा यू.जी एवं पी.जी. नामाकंन अनुभाग तथा गोपनीय शाखा की देखरेख में उनके निर्देशानुसार कार्यालय समय में ही किया जायेगा। 6. कार्य को पूर्ण गोपनीयता एवं जिम्मेदारी के साथ सम्पन्न करना होगा। 7. कार्य समाप्ति के पश्चात् बिल सम्बन्धित अनुभाग से सत्यापित कराकर तीन प्रतियों में भुगतान हेतु सामान्य प्रशासन के भण्डार में प्रस्तुत करना होगा।	

निविदादाता के हस्ताक्षर मय फर्म की मोहर

अनुलग्नक– "अ"

सत्यनिष्ठा की संहिता

उपापन प्रक्रिया में भाग लेने वाला कोई भी व्यक्तिः–

(क) उपापन प्रक्रिया में अनुचित फायदे के लिए या अन्यथा उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने की एवज में किसी रिश्वत, इनाम या दान या प्रत्यक्ष रूप से किसी तात्विक फायदे का कोई प्रस्ताव नहीं करेगा।

(ख) सूचना का ऐसा दुर्व्यपदेशन या लोप नहीं करेगा जो किसी वित्तीय या अन्य फायदा अभिप्राप्त करने के लिए या किसी बाध्यता से प्रविरत रहने के लिए गुमराह करता हो या गुमराह करने का प्रयास करता हो।

(ग) उपापन प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता और प्रगति को बाधित करने के लिए किसी भी दुरभिसंधि, बोली में कूट मूल्य वृद्धि या प्रतियोगिता विरोधी आचरण में लिप्त नहीं होगा

(घ) उपापन संस्था और बोली लगाने वालों के बीच साझा की गयी किसी भी जानकारी का उपापन प्रक्रिया में अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से दुरूपयोग नहीं करेगा।

(ड) उपापन प्रक्रिया को प्रभावित करने के लिए किसी भी पक्षकार को या उसकी सम्पति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्षति या नुकसान पहुंचाने, ऐसा करने के लिए धमकाने सहित किसी भी प्रपीड़न में लिप्त नहीं होगा।

(च) उपापन प्रक्रिया के किसी भी अन्वेषण या लेखापरीक्षा में बाधा नहीं डालेगा।

(छ) हित का विरोध, यदि कोई हो, प्रकट करेगा।

(ज) पिछले तीन वर्षो के दौरान भारत या किसी अन्य देश में किसी संस्था के साथ किसी पूर्व नियम/भंग को या किसी अन्य उपापन संस्था द्वार किसी विवर्जन को प्रकट करेगा, हित का विरोध होगा।

हित का विरोध

कोई बोली लगाने वाला किसी उपापन प्रक्रिया में एक या अधिक पक्षकारों के साथ हित के विरोध में माना जायेगा जिसमें निम्नलिखित स्थितियां सम्मिलित है किन्तु इन तक सीमित नही है यदिः–

(क) उनके समान नियंत्रक भागीदार है।

(ख) वे उनमें से किसी से कोई भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सहायिकी प्राप्त करते है या प्राप्त की है।

(ग) उनका उस बोली के प्रयोजनों के लिए एक ही विधिक प्रतिनिधि है।

(घ) उनका प्रत्यक्ष रूप से या समान तृतीय के मार्फत एक दूसरे के साथ ऐसा संबंध है जो दूसरे की बोली के बारे में सूचना तक पहुंचने या दूसरे की बोली पर प्रभाव डालने की स्थिति रखता हो।

(ड) कोई बोली लगाने वाला एक ही बोली प्रक्रिया में एक से अधिक बोली में भाग लेता है। तथापि, यह एक ही उपसंविदाकार को एक से अधिक बोली में सम्मिलित होने से सीमित नही करता है जो बोली लगाने वाले के रूप में अन्यथा भाग नही लेता है।

(च) बोली लगाने वाले या उससे सहबद्ध किन्ही व्यक्तियों ने बोली प्रक्रिया के उपापन की विषयवस्तु के डिजाईन या तकनीकी विनिर्देशों को तैयार करने में सलाहकार के रूप में भाग लिया है। सभी बोली लगाने वाले अर्हता कसौटी और बोली प्ररूपों में यह विवरण उपलब्ध करायेंगे कि बोली लगाने वाला उस सलाहकार या किसी भी अन्य संस्था, जिसने उपापन की विषयवस्तु के लिए डिजाईन, विनिर्देश और अन्य दस्तावेज तैयार किये है, के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में न तो संबद्ध है और नही संबद्ध रहा है या संविदा के लिए परियोजना प्रबन्धक के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "ब"

निविदादाता द्वारा दिया जाने वाला घोषणा पत्र

आप द्वारा आमंत्रित निविदा कमांक ....दिनांक ....के तहत मेरे/हमारे द्वार प्रस्तुत निविदा के संदर्भ में हम राजस्थान लोक उपापन पारदर्शीता अधिनियम 2012 के खंड 7 के अंतर्गत यह घोषणा करते है कि

1. मै/हम निविदा दस्तावेजो के अनुसार वांछित अनुभव, तकनीकी, वित्तिय, प्रबंधकीय संसाधन की क्षमता रखते है।
2. मैं/ हम निविदा अुनसार केन्द्र/राज्य सरकार/ अन्य स्थानीय अधिकार को कर चुकाने बाबत् दायित्व लेते हैं।
3. मैं/ हम ना ही दिवालिया घोषित किया गया है, तथा ना ही मेरी/हमारी फर्म के विरूद्ध न्यायालय/न्यायिक अधिकारी द्वारा कोई वैधानिक कार्यवाही प्रकियाधीन है।
4. मैं/हम तथा हमारे निदेशक/ अधिकारियों द्वारा निविदा प्रक्रिया के दौरान गत तीन वर्ष में किसी प्रकार का कोई अपराध संबंधी मामला दर्ज नही है तथा किसी भी निविदा प्रक्रिया से निष्कासित नही किया गया है।
5. मैं/ हमारे द्वारा अधिनियम, नियमों के संदर्भ में किसी प्रकार के हित का कोई विरोध नहीं है जो कि उचित प्रतियोगिता को प्रभावित करता हों।

स्थानः–..................................

तारीखः–..................................

निविदादाता के हस्ताक्षर

अनुलग्नक "स"

निविदादाता प्रक्रिया के दौरान शिकायत निवारण

प्रथम अपीलय अधिकारी का पद एवं पता कुलसचिव म.द.स. विश्वविद्यालय, कायड़ रोड़, पुष्कर बाईपास, अजमेर।

द्वितीय अपीलय अधिकारी का पद एवं पता कुलपति, म.द.स. विश्वविद्यालय,कायड़ रोड़, पुष्कर बाईपास, अजमेर।

1. यदि कोई बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला इस बात से व्यथित है कि उपापन संस्था कोई निर्णय, कार्यवाही या लोप इस अधिनियम या इसके अधीन जारी नियमों या मार्गदर्शनों के उपबंधों के उल्लंघन में है तो वह उपापन संस्था के ऐसे अधिकारी को, जिसे इस प्रयोजन के लिये पदभिहित किये जाये, विनिर्दिष्ट आधार, जिस पर या जिन पर व्यथित है, स्पष्ट रू॰ से देते हुये, ऐसे विनिश्चिय या कार्यवाही या, यथास्थिति, लोप की तारिख से 10 दिन की अवधि या ऐसी अन्य अवधि, जो पूर्व–अर्हता दस्तावेजो या बोली लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों या बोली दस्तावेजों में विनिर्दिष्ट की जाये, के भीतर अपील दाखिल कर सकेगा।

परन्तु धारा 27 के निबन्धनों में बोली लगाने वाले के सफल होने की घोषणा के पश्चात अपील केवल उस बोली लगाने वाले द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसने उपापन कार्यवाही में भाग लिया है। परन्तु यह और की ऐसी दशा में उपापन संस्था वित्तिय बोली को खोलन से पूर्व तकनीकी बोली का मुल्यांकन करती है, वहा वित्तिय बोली के मामले से संबंधित अपील केवल उस बोली लगाने वाले के द्वारा दाखिल की जा सकेगी जिसकी तकनीकी बोली स्वीकार्य होने वाली पायी जाती है।

1. अधिकारी, जिसके समक्ष उपधारा – 1 के अधीन अपील दाखिल की गयी है, अपील पर यथासंभव शीघ्र विचार करेगा और अपील दाखिल करनी की तारिख से 30 दिवस के भीतर इसे निपटाने का प्रयास करेगा।
2. यदि उपधारा 01 के अधीन पदभिहित अधिकारी उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के भीतर उक्त उपधारा के अधीन दाखिल अपील को निपटाने में असफल हो जाता है या यदि बोली लगाने वाला या भावी बोली लगाने वाला या उपापन संस्था उपधारा 2 के अधीन पारित आदेश से व्यथित है तो बोली लगाने वाला या, या भावी बोली लगाने वाला या यथास्थिति उपापन संस्था, उपधारा 3 में विनिदिष्ट अवधि के आवासन से या, यथास्थिति उपधारा 2 के अधीन पारित ओदश की प्राप्ति की तारीख से 15 दिवस के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस निमित पदभिहित किसी अधिकारी या प्राधिकारी को द्वितीय अपील दाखिल कर सकेगा।
3. धारा 38 के अधीन उपापन संस्था के निम्नलिखित मामलों से संबंधित किसी विनिश्चय के विद्वघ कोई अपील नहीं हेागा।

   अर्थातः

   क. उपापन की आवश्यकता का अवधारण

   ख. बोली प्रक्रिया में बोली लगाने वालों के भाग लेने को सीमित करने वाले उपबंध

   ग. यह विनिश्यक की निबंधनो में बातचीत की जाये या नहीं

   घ. निबन्धनों में उपापन प्रक्रिया का रद्दकरण

   ड. गोपनीयता के उपबंधो का लागू होना।
4. **अपील का प्ररूपः**–(1) धारा 38 की उप–धारा (1) या (4) के अधीन कोई अपील प्रारूप में उतनी प्रतियों के साथ होगी जितने कि अपील में प्रत्यर्थी है।

   (2) प्रत्येक अपील उस आदेश, जिसके विरूद्ध अपील की गयी है, यदि कोई हो, अपील में कथित तथ्यों को सत्यापित करने वाले शपथ पत्र और फीस के संदाय के सबूत के साथ होगी।

(3) प्रत्येक अपील प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी को व्यक्तिशः या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत की जा सकेगी।

5. **अपील फाईल करने के लिए फीसः–**

(1) प्रथम अपील के लिए फीस दो हजार पांच सौ रूपये और द्वितीय अपील के लिए दस हजार रूपये होगी जो अप्रतिदेय होगी।

(2) फीस का संदाय किसी अधिसूचित बैंक मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर चैक के रूप में किया जायेगा जो संबंधित अपील प्राधिकारी के नाम देय होगा।

6. **अपील के निपटारे की प्रकियाः–**

(1) प्रथम अपील प्राधिकारीया, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारी अपील फाइल किये जाने पर प्रत्यर्थी को अपील, शपथ पत्र और दस्तावेजों, यदि कोई हो, की प्रति के साथ नोटिस जारी करेगा और सुनवाई की तारीख नियत करेगा।

(2) सुनवाई के लिए नियत तारीख को प्रथम अपील प्राधिकारी या, यथास्थिति, द्वितीय अपील प्राधिकारीः–

(क) उसके समक्ष उपस्थित अपील के समस्त पक्षकारों की सुनवाई करेगाः औरः (ख) मामले से संबंधित दस्तावेजों, सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों का अवलोकन या निरीक्षण करेगा।

(3) पक्षकारों की सुनवाई, मामले से संबंधित दस्तावेजों सुसंगत अभिलेख या उनकी प्रतियों के अवलोकन या निरीक्षण के पश्चात्, संबंधित अपील प्राधिकारी लिखित में आदेश जारी करेगा और अपील के पक्षकारों को उक्त आदेश की प्रति निःशुल्क उपलब्ध करायेगा।

(4) उप नियम (3) के अधीन पारित आदेश राज्य लोक उपापन पोर्टल पर भी दर्शित किया जायेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

प्रारूप सं. 1
(नियम 83 देखिए)
राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 के अधीन अपील का ज्ञापन

.....................................की अपील सं.................................(प्रथम / द्वितीय अपील प्राधिकारी).........................के समक्ष

1. अपीलार्थी की विशिष्टियां:
   i. अपीलार्थी का नाम: ....
   ii. कायार्लय का पता, यदि कोई हो: ....
   iii. आवासिक पता:

2. प्रत्यर्थी (प्रत्यर्थियों) का नाम और पता:
   i.
   ii.
   iii.

3. आदेश का संख्याक और तारीख जिसके विरूद्ध अपील की गयी है और अधिकारी / प्राधिकारी का नाम और पदनाम, जिसने आदेश पारित किया है,, (प्रतिलिपि संलग्न करें) या अधिनियम के उपबंधों के अल्लंघन में उपापन संस्था के किसी विनिश्चय, कार्य का लोप का विवरण जिससे अपीलार्थी व्यथित है:–
4. यदि अपीलार्थी किसी प्रतिनिधि द्वारा प्रतिनिधित्व किये जाने के लिए प्रस्ताव करता है तो प्रतिनिधि का नाम और डाक का पता :–
5. अपील के साथ संलग्न किये गये शपथपत्रों और दस्तावेजों की संख्या:
6. अपील का आधार:–

....
....
....
................................(शपथपत्र द्वारा समर्थित)

भाग 4 (ग) राजस्थान राज–पत्र, जनवरी 24, 2013 155(69)

7. प्रार्थना :– ....
....
....

स्थान:–.......................................
तारीख:–.......................................

अपीलार्थी के हस्ताक्षर